राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 05/2021

1. करण सिंह पुत्र हरी सिंह
2. हरबाई पत्नी हरी सिंह
3. कमला पुत्री हरी सिंह
4. शान्ता पुत्री हरी सिंह
5. संतोष पुत्री हरी सिंह
6. मणिता पुत्री हरी सिंह
7. सुनिता पुत्री हरी सिंह

जाति जाट निवासी इलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादी

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक 15–03–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 20 रकबा 12 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2012 में नेकीराम पुत्र बुलाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा उसके बाद उक्त भूमि गत् ख.नं. 20 रकबा 12 बिस्वा संवत् 2013 में सांवलराम पुत्र बीजाराम जाट के नाम से दर्ज हो गई जो संवत् 2036 तक सांवलराम पुत्र बीजाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है। सांवलराम पुत्र बीजाराम के फौत होने पर उक्त भूमि सांवलराम के पुत्र अर्थात् वादीगण के पिता/पति हरी सिंह के नाम से दर्ज हो गई जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। उक्त भूमि पहले वादीगण के पूर्वज काबिज रहकर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण स्व. हरी सिंह पुत्र सांवलराम के वारिश है। गत् खसरा नबर 20 रकबा 12 बिसवा के गत् पैमाईश में नये खसरा नंबर [illegible] है. बन गये तथा उसके बाद भी उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों [illegible] के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2043 में मंदिर श्री हनुमानजी की [illegible] जो लगातार आज [illegible] मंदिर श्रीहनुमानजी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त भूमि पर [illegible] वादीगण के पूर्वज तथा वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि कभी भी मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

माफी की भूमि नहीं रही है तथा न ही उक्त मंदिर श्रीहनुमानजी गांव में है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वादीगण की भूमि हाल खसरा नंबर 276 रकबा 0.15 है. मंदिर श्रीहनुमानजी के नाम से खातेदारी में दर्ज रहने से वादीगण की भारी हकतलफी है। इसलिये वादीगण उक्त भूमि का अपने को खातेदार घोषित करवाकर अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इसलिये वादीगण को यह वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 20 रकबा 12 बिस्वा से बने हाल ख.नं. 276 रकबा 0.15 है. का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे तथा उक्त भूमि की खातेदारी से मंदिर श्रीहनुमानजी का नाम हजफ फरमाया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व / 2021 / 1384 दिनांक 20.07.2021 के जवाब दावा व रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः–

1. पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.04.21 के मुताबिक राजस्व ग्राम ढाणी ईलाखर के वर्तमान भूमि ख.नं. 276 रकबा 0.15 है. राजस्व रिकार्ड में हाल जमाबंदी संवत् 2075–2078 में मंदिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि इसका गत् ख.नं. 20 संवत् 2013 से 2036 तक सांवलराम पुत्र बीजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था। सांवलराम के फौत होने पर उसके वारिशान हरिराम, अमीलाल पुत्र सावलराम तथा हरिराम फौत होने पर उनके वारिशान करण सिंह पुत्र हरिसिंह, हरबाई पत्नी हरिसिंह व कमला, शान्ता, सन्तोष, मणिता, सुनिता पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी ढाणी ईलाखर जो भूमि खसरा नंबर 276 पर मौके पर काश्त करते आ रहे हैं।
2. अतिरिक्त उत्तर में विवादित भूमि ख.नं. 276 वाके मौजा ईलाखर पर वादीगण ही काश्त करते हैं। भूमि वर्तमान में मन्दिर के नाम दर्ज है। वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:27 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 47 ग्राम ढाणी ईलाखर, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2043, संवत् 2012, संवत् 2013, संवत् 2017, संवत् 2021–2024, संवत् 2025–2028, संवत् 2029–2032, संवत्

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

2033–2036, खसरा गिरदावरी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरिसिंह, श्री हरिसिंह पुत्र सावलराम का वारिशनामा सरपचं ग्राम पंचायत टीबा पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के गत् ख.नं. 20 संवत् 2013 से 2036 तक सांवलराम पुत्र बीजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। भूमि गत् ख.नं. 20 से हाल खसरा नंबर 276 निर्मित हुए हैं। सांवलराम के फौत होने पर उसके वारिशान हरिराम, अमीलाल पुत्र सावलराम तथा हरिराम फौत होने पर उनके वारिशान करण सिंह पुत्र हरिसिंह, हरबाई पत्नी हरिसिंह व कमला, शान्ता, सन्तोष, मणिता, सुनिता पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी ढाणी ईलाखर जो भूमि खसरा नंबर 276 पर मौके पर काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना संदेह से परे साबित है।

<u>आदेश</u>

अतः ग्राम ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 47 खसरा नंबर 276 रकबा 0.15 है. भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि ''मन्दिर श्री हनुमान जी'' को हजफ किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:27 IST
Reason: SelfAttested